एम्बुलेंस कर्मियों और सरकार के बीच दो दौर की वार्ता विफल

जयपुर सहित प्रदेश में राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी संघर्ष समिति के आव्हान पर सोमवार को तीसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी रही

प्रदेश में एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिलने से अन्य साधनों से अस्पताल आना पड़ा।

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी संघर्ष समिति के आव्हान पर सोमवार को तीसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी रही। हालांकि इस बीच आज एम्बुलेंस कर्मी और सरकार के बीच जयपुर में हुई दौर की वार्ता विफल रही। वहीं दूसरी ओर इस हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि संविदा नियमों में एम्बुलेंस कर्मियों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों का पिछले तीन दिन से आंदोलन जारी है। इसके चलते पूरे प्रदेश में 108 व 104 एंबुलेंस सेवा पूरी तरह ठप है। इससे मरीजों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने से मरीज ऑटो, ई-रिक्शा या दूसरे वाहनों से हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंच रहे है। 108 सेवा की जयपुर समेत प्रदेशभर में 750 एम्बुलेंस संचालित है। शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों का सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त निदेशक प्रियंका गोस्वामी से स्वास्थ्य भवन में सुबह मुलाकात की। इस दौरान सुबह साढ़े दस बजे व शाम सवा तीन बजे दो दौर की वार्ता हुई। जिसमे अतिरिक्त मिशन निदेशक गोस्वामी ने पदाधिकारियों को बताया की भविष्य के लिए एंबुलेंस कर्मचारियों के लिए प्रपोजल बनाकर सरकार को भेज देंगे, लेकिन इस बात पर एंबुलेंस कर्मचारी सहमत नही हुए। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री लेवल पर वार्ता करने की मांग की है।

हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शेखावत ने बताया कि आज मेडिकल कॉलेज जयपुर के सामने पूरे प्रदेश से करीब आए हुए 4000 कर्मचारियों द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में 108 की 741 एंबुलेंस और 104 की 586 एंबुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप रही है और प्रदेश के अधिकतर एंबुलेंस कर्मचारी जयपुर पंहुच गए है। उन्होंने बताया कि एंबुलेंस कर्मचारियों की मांगों का समाधान नही होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

'शिकायतकर्ता खुद ही दलाल, मुझे जमानत दी जाए'

हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर की जमानत अर्जी पर एसीबी से एक सप्ताह में केस डायरी पेश करने को कहा है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर की जमानत अर्जी पर एसीबी से एक सप्ताह में केस डायरी पेश करने को कहा है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश सुशील गुर्जर की जमानत याचिका पर दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता का खुद के भूखंड का कोई पट्टा नहीं है। वह तो रुपए लेकर दूसरे लोगों को पट्टा दिलाने का काम करता है। शिकायतकर्ता खुद ही भ्रष्टाचार फैला रहा है। इसके अलावा टेलीफोनिक ट्रांसक्रिप्ट में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है और जिन लोगों के भूखंडों के पट्टों की फाइलें थी, उनमें से किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज नहीं कराई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने न तो किसी से रिश्वत की मांग की है और ना ही उससे किसी तरह की रिश्वत राशि बरामद हुई है। यह पूरा प्रकरण राजनीति द्वेषता से प्रेरित है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। वहीं अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह एक सप्ताह में प्रकरण की केस डायरी पेश करे। गौरतलब है कि एसीबी ने गत दिनों मेयर मुनेश गुर्जर के घर रेड डाली थी। एसीबी का आरोप है कि सुशील गुर्जर ने दो लाख रुपए प्रति पट्टा रिश्वत लेकर पट्टे जारी कराने की रिश्वत ली है। एसीबी ने सुशील गुर्जर के साथ ही प्रकरण में शामिल दो दलालों को भी गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी ओर इसी दिन राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया था, हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी निलंबन आदेश वापस ले लिया था।

'सौर ऊर्जा के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल ने कहा कि सरकार के प्रयासों से सौर ऊर्जा का विकास होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। एसोसिएशन के प्रयास भी आरई नियमों में आमूलचूल परिवर्तन लाने में मदद कर रहे हैं। आरएसएए पिछले तीन वर्षों में इनके लिये प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि राज्य सौर उद्योग के लिये सरकार ने 80 फीसदी तक सौर स्थापना की अनुमति दी है, सरकार नागरिकों को घरेलू ग्राहकों के लिये 3.26 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करेगी। आरएसएए सभी ज्वलंत मुद्दों पर राज्य के सौर विकास के व्यापक हित के लिये सरकार से लगातार मांग कर रहा है। इसके अलावा आरईआरसी उद्योग की मांगों पर कार्रवाई कर रहा है।

खड़गे 6 सितंबर को गुलाबपुरा में सम्मेलन को संबोधित करेंगे

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 6 सितम्बर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने के साथ ही दुग्ध उत्पादक संघ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने निर्वाचन के बाद पहली बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आग्रह पर आ रहे हैं। खड़गे के साथ ही सम्मेलन को राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सहप्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन भी सम्बोधित करेंगे।

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

जयपुर, (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नारायण मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 43 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पीड़िता के पिता की उम्र का है। उसका यह कृत्य गंभीर और घृणित प्रकृति का है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 26 दिसंबर, 2019 को करीब 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने मनोहरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी 25 दिसंबर को बीएड की एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब तक वापस लौटकर नहीं आई है। उसने करीब एक माह पहले नारायण मीणा को अपनी मोटर साइकिल बेची थी। जिसका रुपए भी नारायण पर बकाया चल रहा है। नारायण से संपर्क करने पर उसने आज सुबह पीड़िता के घर आने की बात कही, लेकिन पीड़िता वापस नहीं आई। ऐसे में उसे शक है कि नारायण मीणा उसे अपने साथ ले गया है। पीड़िता घर जाते समय अपने सभी दस्तावेज, कपड़े और बैंक की पासबुक भी साथ ले गई है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिनों बाद अजमेर के किशनगढ़ से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन वह अपनी दोस्त के घर जा रही थी।

मुख्यमंत्री से मिलने से पहले ही किरोड़ी मीणा गिरफ्तार

जयपुर। डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गंगापुर दौरे के दौरान मिलने के लिए कहा लेकिन पुलिस ने डॉ मीणा को और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया।

इस दौरान डॉ मीणा ने कहा कि मुखिया आपकी इस तानाशाही का जवाब आने वाले समय में प्रदेश कि जनता अवश्य देगी ओर आपको एवं आपकी पार्टी को हमेशा के लिए सता से बाहर करेगी। डॉ मीणा की प्रमुख मांगों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ दौरे के दौरान किए गए अभद्र व्यवहार करने वाले व पुलिस प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही करने वालों के ख़िलाफ कार्यवाही करने के लिए। मुखिया के दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा नज़रबंद/अभद्र व्यवहार क्यों किया गया, उनके ख़िलाफ कार्यवाही के लिए। पांचना बांध का पानी किन कारणों से रोक रखा है उसे छोड़ा जाए। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा रोकने वालों के ख़िलाफ कार्यवाही के लिए।

कांग्रेस सरकार में किसानों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं : चन्द्रशेखर

जयपुर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. यादव ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी रामनरेश तिवाड़ी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मोर्चा प्रदेश प्रभारी नारायण सिंह देवल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ एवं प्रदेश स्तरीय बैठक में मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, जिलाध्यक्ष, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सोशल मीडिया प्रदेश टीम एवं सोशल मीडिया जिला प्रभारी उपस्थित रहे।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर ने मोर्चे के प्रत्येक पदाधिकारियों से आव्हान किया कि वह अपने-अपने ग्राम स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ, किसान विरोधी इस कांग्रेस सरकार में किसानों के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां ने बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों की सम्पूर्ण कर्जामाफी की जायेगी, जो अभी तक नहीं की गई। आज भी किसान अपनी पूर्ण कर्जमाफी का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में सरचार्ज, फ्यूल चार्ज ना बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही बिलों में वृद्धि करके किसानों की कमर तोड़ दी। साथ ही बिजली कटौती करके किसानों के साथ में धोखा किया। ऐसी निकम्मी सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश का किसान सबक सिखाएगा।

कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों की सम्पूर्ण कर्जामाफी की जायेगी, जिसका किसान आज भी कर रहा इंतजार : हरिराम रणवां

मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश प्रभारी रामनरेश तिवाड़ी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसान मोर्चा को प्रत्येक बूथ स्तर पर केन्द्र सरकार की किसान जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे की हर एक किसान को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके।

उठावना

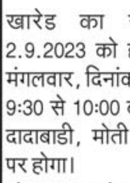

हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती माणक देवी** पत्नी स्व. श्री टीकमचन्द जी खारेड का स्वर्गवास दिनांक 2.9.2023 को हो गया है। उठावना मंगलवार, दिनांक 5.9.2023 को प्रातः 9:30 से 10:00 बजे, मोती डूंगरी जैन दादाबाडी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर पर होगा।

शोकाकुल- अशोक- संगीता (पुत्र- पुत्रवधू), नवीन, धरेंद्र, पंकज (भतीजे), भरत, चिराग, चेतन (पौत्र), सरोज- आजाद जी बैद, सुनीता- विजेन्द्र जी महमवाल, अनीता- सुनील जी सिंघवी, बबीता- पारस जी गोलेछा (पुत्री- दामाद), श्रेयांश, प्रतीक (दोहिते) एवं समस्त खारेड परिवार। पीहर पक्षः कमलचन्द जी, आशीष जी ढोर परिवार। मो.- 8890719116

नम्बर मिलाइए 9587884433

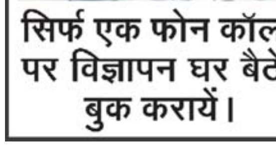

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

ईडी ने जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की जांच तेज की

जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला

जयपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने जांच तेज कर दी है। तीन दिन में गुजरात सहित अन्य राज्यों से जयपुर सहित अन्य शहरों में पहुंची करीब एक दर्जन टीमें अब तक इस घोटाले के अहम साक्ष्य और संदिग्धों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी-सोना सहित अन्य दस्तावेज बरामद कर चुकी है। सोमवार को ईडी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए कार्रवाई की जानकारी साझा की।

ईडी की टीमें जयपुर सहित अन्य शहरों में संदिग्धों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी-सोना सहित अन्य दस्तावेज बरामद कर चुकी है।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन योजना में फर्जी टेंडर प्रक्रिया से लेकर पुरानी पाइप लाइन नई बताकर कागजों में डालकर करोड़ों का भ्रष्टाचार होने के इनपुट ईडी के पास थे। दिल्ली और गुजरात अन्य राज्यों की टीमों ने स्थानीय टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को जयपुर सहित अन्य जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया था। टीमों ने अलवर, नीमराना, बहरोड़ और शाहपुरा में इस मामले में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और दलालों के यहां दबिश दी। इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस बड़े घोटाले की जांच को हाथ में लिया। टीमों ने एक साथ सर्च शुरू की तो पदमचंद जैन (मालिक-मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी), महेश मित्तल (प्रोपराइटर मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी) सहित अन्य को जांच के दायरे में रखा।

जानकारी के अनुसार ईडी की जांच में जल जीवन मिशन योजना घोटाले में अवैध सुरक्षा प्राप्त करने, निविदाएं प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देना, बिलों को मंजूरी दिलाना और उनके द्वारा निष्पादित कार्य के संबंध में अनियमितताओं को छिपाने के साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी से प्राप्त विभिन्न निविदाओं के संबंध में विभाग (पीएचईडी), संदिग्ध चोरी के सामान की खरीद में भी शामिल रहे हरियाणा से अपने टेंडरों व अनुबंधों में इसका उपयोग करने तथा पीएचईडी अनुबंध प्राप्त करने के लिए इरकॉन से कार्य समापन पत्र सहित अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं।

गौरतलब है कि ईडी ने करीब 17 ठिकानों पर दबिश देकर सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपए और एक किलो सोने की ईंट बरामद की थी। जानकारी के अनुसार अमिताभ कौशिक और जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा 1 करोड़ 50 लाख रुपए सहित करीब ढाई करोड़ रुपए, प्रोपर्टी डीलर और आईएएस व नेताओं के लाईजनर जमीनी कारोबारी कल्याण कविया के यहां से सम्पत्ति में भारी निवेश के दस्तावेज बरामद किए। टीम ने डिजिटल साक्ष्य सहित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज डिस्क, मोबाइल और बड़े पैमाने पर किए गए लेन-देन का काला चिट्ठा बरामद किया था।

आम सूचना मेरे अभिभाषगण श्री हरिसिंह पुत्र श्री अमर सिंह शेखावत एवं श्रीमती शोभा शेखावत पत्नि श्री हरिसिंह निवासी- ग्राम मुर्धवा, पटेल नगर, मुर्धवा अपोसिट ललिता सिंह एण्ड सन्स पोस्ट रेनुकूट, सोनभद्र उत्तर प्रदेश हाल निवासी-प्लाट नम्बर-115, मंगल नगर, ग्राम बिशनावाला, सिरसी रोड, जयपुर राज. की ओर से एवं उनके निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाषगण की पुत्री गरिमा शेखावत का आचरण ठीक नहीं होने व मेरे अभिभाषगण के कहने में नहीं होने के कारण मेरे अभिभाषगण ने अपनी पुत्री गरिमा शेखावत को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है तथा आज के बाद मेरे अभिभाषगण का गरिमा शेखावत से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सूचित रहे।
जयपुर लोकेश शर्मा, एडवोकेट
दिनांक-04/09/23 मो.-9829278275

आम सूचना
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री सालासर ओवरसीज प्रा. लि. पता 15-बी, गोपालपुरा बाई पास रोड, हीरा नगर, मानसरोवर, जयपुर द्वारा नारायण विहार ब्लॉक वाई फेज 52 योजना का भूखण्ड संख्या -08 क्षेत्रफल 280.00 वर्गगज का अलॉटमेंट लेटर विजय कुमार शर्मा पुत्र/ पुत्री पत्नी श्री एन.सी. शर्मा निवासी उना हिमाचल प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। उक्त आवंटी विजय कुमार शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 02.10.2015 को हो गया है तथा उक्त स्व. श्री विजय कुमार शर्मा के स्थान पर उनकी पत्नी आशा शर्मा ने स्वयं के नाम प्रतिस्थापन हेतु कम्पनी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजात् के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस की समयावधि में कम्पनी कार्यालय में सम्पर्क करे अन्यथा 15 दिवस के पश्चात् उक्त आवेदनकर्ता आशा शर्मा पत्नी स्व. श्री विजय कुमार शर्मा के नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
निदेशक
श्री सालासर आवरसीज प्रा.लि.

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1750 दिनांक-29.08.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 13/348, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल31.980 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री तोफान चन्द जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 276 दिनांक 28.10.1986 को जारी किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.01.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 396 दिनांक 26.5.2004 के द्वारा श्रीमती शकुन्तला परनामी पत्नी श्री वेद प्रकाश परनामी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर में दिनांक 06.07.2004 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती शकुन्तला परनामी की मृत्यु दिनांक 20.01.2023 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री कमल कान्त परनामी पुत्र श्री वेद प्रकाश परनामी ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनानामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्री कमल कान्त परनामी पुत्र श्री वेद प्रकाश परनामी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया पाया

मेरी दुकान नं. SB-101 का आवंटन पत्र कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- मो. नं. 9829325861

मेरे आवास संख्या- 62/438, का अलॉटमेंट लेटर व पजेशन लेटर कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- मो. 9414300733

मेरे आवास फ्लैट संख्या 43/48/01, मानसरोवर जयपुर का मूल कब्जा पत्र व मूल मुख्त्यारनामा आम कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें- कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल मो. 9351590851

दि. 20.08.23 को विद्याधर नगर में बस स्टैण्ड से विद्याधर नगर दुकान नं. बी-469 तक आते समय मकान नं.46, जयपुर विकास प्राधिकरण की पुनर्वास कॉलोनी के आवश्यक कागजात गिर गये है। यदि किसी भी सज्जन को मिले तो उपरोक्त पते पर पहुचाएं। इनका उपयोग गैर कानूनी होगा। नरेश कुमार मो.-9024913055

मेरे मकान नंबर 133 आयकर नगर रिको कांटा, मानसरोवर जयपुर का इनकम टैक्स हाउस बिल्डिंग (एन.जी.) को-ऑपरेटिव सोसायटी जयपुर के मूल आवंटन पत्र की रसीद एवम समस्त कागज कहीं गुम हो गया है जो की पूजा त्रिपाठी पत्नी यू डी त्रिपाठी के नाम से है। मिलने पर सूचित करे। पूजा त्रिपाठी 9785456920

जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना भू. सं. डी-218, विद्याधर नगर जयपुर 50 वर्गगज है। जिसका आवंटन पत्र बदल पत्र और नाम हस्तान्तरण पत्र गिर गया है। सूचित करें। दौलत कुमार मो.नं. 8094865184

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम राजावत नरेंद्र करणसिंह से बदलकर नरेन्द्र सिंह राजावत रख लिया है, भविष्य में मुझे नरेन्द्र सिंह राजावत के नाम से जाना जावे। पता- पुत्र करण सिंह राजावत 29 बालाजी विहार, 33 गोविंदपुरा, जयपुर

मैंने अपना नाम नीलम गुप्ता से बदलकर नीलम अग्रवाल रख लिया है भविष्य में मुझे नीलम अग्रवाल के नाम से जाना जावे। पताः बी-18, काला कॉलोनी, शक्ति नगर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर

मैं धन्नाराम मीणा निवासी डांसरोली तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर का स्थायी निवासी हूं। मेरी पुत्री रिंकू मीणा पुत्री धन्नाराम मीणा का स्कूल रिकॉर्ड में रिंकू मीणा पुत्री धन्नराज मीणा भूलवश गलत लिखा गया। जबकि सही व सत्य नाम रिंकू मीणा पुत्री धन्नाराम मीणा है।

मैंने अपना नाम सोना से बदलकर सोना अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे सोना अग्रवाल पत्नी श्री रूपेन्द्र कुमार के नाम से जाना जावे। निवासी- 6-ए, राधा मार्ग, राजहंस कॉलोनी, स्कीम नम्बर 3, ब्रह्मपुरी, जयपुर 302002

मैंने मेरा नाम राजीव कुमार तलवार पुत्र श्री इन्द्रनाथ तलवार से बदलकर राजीव तलवार रख लिया। भविष्य में मुझे राजीव तलवार नाम से जाना जावे। पताः-8/239, विद्याधर नगर जयपुर

मैं अनिल कुमार भारतीय सेना में आर्मी नं. 15415860 एल. नायक सेवारत हु। मेरी सेवा अभिलेख में मेरी पुत्री का नाम जयति दर्ज है अतः मेरी पुत्री के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में जयति सिंह है जो सही है। सेवा अभिलेख में दुरस्त किया जावें।

I have changed my name from Tanzeem to Tanzeem Bano In future 1647 Niwai Mahant Karasta Ramganj Bazar Jaipur

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत किराया अधिकरण क्रम संख्या-2 मुकाम जयपुर महानगर प्रथम
श्रीमति तस्लीम बानो बनाम सत्यनारायण
दावा बाबत निष्कासन
मुकद्दमा नम्बर......... सन्
बनाम-
मुसम्मी अनुराधा गोयल पत्नी नीतीन कुमार गोयल कौम......
साकिन दुकान नं.108, दूदू हाउस के तीये परगना रामगंज बाजार, चौपडी घाट गेट जयपुर
चूंकि अर्जीदार ने इस अदालत में तारीख...... माह...... सन् 199 को 1. तस्लीम बानो बनाम 2. स्व. सत्यनारायण दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि............ मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी...... मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3............ बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1....... 07 माह 10 सन् 2023 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 09 सन् 2023 को जारी किया गया।
आज्ञा से-रीडर
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजि., क्रम-5 एवं किराया अधिकरण, द्वितीय जयपुर महानगर-प्रथम
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 16/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती सुखी चोयल पत्नी स्व. श्री भींवाराम चोयल जाति जाट
विवाद स्थान 417 सेक्टर नम्बर 7 मालवीय नगर, जयपुर (राजस्थान)
मृतक स्व. श्री भींवाराम चोयल की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 11/9/23
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. श्री भींवाराम चोयल पुत्र स्व. श्री धर्माराम जाति जाट निवासी 417, सेक्टर नं.07 मालवीय नगर जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 11 माह 9 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 25 माह 8 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर
मोहर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निवाई (न.पा.नि.) (जिला -टोंक)
क्रमांक-का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2021-22/185 प्रारूप-10 (नियम 6(7) देखिए) दिनांक-12.04.2023
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका निवाई
लोक सूचना
श्रीमति अनिता सोनी पत्नी स्व.हेमराज सोनी जाति सुनार निवासी शिवाजी कॉलोनी गली नं. 02, निवाई टोंक मुख्त्यारनामा आम खातेदार श्री मुकेश कुमार पुत्र रामबिलास बैरवा निवासी निवाई व, निखिल पुत्र रामपाल, मुस्कान, परी पुत्री रामपाल, नाबालिग सरपरस्त माता ममता, दीक्षा पुत्री रामपाल, ममता पत्नी रामपाल कोम खंगार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक कृषि आधारित (वेयर हाऊस) प्रयोजनार्थ प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र
1	तह.निवाई जिला टोंक	निवाई	5418/1, 5418/2 5418/3, 5418/4	03 बीघा

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज......... को जारी की गयी।
(श्रीमती महिमा डांगी) प्राधिकृत अधिकारी, नगरीय क्षेत्र, निवाई

fincare Small Finance Bank
Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. **www.fincarebank.com**
LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS
The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **11 September 2023 between 11:00 AM - 03:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the mode specified therein. In case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.
E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblinkhttps://egold.auctiontiger.net/)
BANSWARA - 23660000199033, 23660000237213 | **BHILWARA** - 23660000228271 | **CHITTORGARH** - 22660001104759, 22660001124601, 22660001133883, 23660000261127, 23660000503033 | **JAIPUR** - 22660001195015, 23660000637301 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 22660001113182, 22660001302756, 23660000051353 | **JHALAWAR** - 23660000531470 | **JODHPUR ITI CIRCLE** - 22660001311409 | **KOTA** - 23660000340499, 23660000470673 | **KOTA - GHODE WALE BABA CROSS** ROAD - 23660000256667, 23660000430160 | **UDAIPUR - MADHUBAN BANK STREET** - 23660000173753.
Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.
Sd/-
Manager
Fincare Small Finance Bank